प्रेस नोट

दिनांक 07.10.2025

थाना मुस्करा पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा/कारतूस के साथ गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.10.2025 को थाना मुस्करा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-223/25 धारा 115(2)/324(4)/331(6)/352/351(3) बी0एन0एस0 से संबन्धित वांछित अभियुक्त नीशू शुक्ला पुत्र राजेश कुमार को समय 07.12 बजे जैतमाल बाबा रोड पर अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 224/2025 धारा 9(1)A(1)/25(2) आयुध अधिनियम पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 05.10.2025 को वादी अंकुर सोनी पुत्र द्वारका प्रसाद सोनी ग्राम मुस्करा चार थोक कस्बा थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर ने उपस्थित थाना आकर दी गई तहरीर के माध्यम से बताया कि उसकी डाकखाने मुस्करा के पास कान्हा डेयरी एवं बेकरी की दुकान है प्रतिदिन की भाँति अपनी डेयरी पर बैठा था, तभी दिनांक 05/10/2025 को समय करीब 7.00 बजे रात्रि नीशू शुक्ला उसकी दुकान पर आया, और सिगरेट मांगी तो उसने मना कर दिया कि उसके पास सिगरेट नहीं है। इसी बात को लेकर नीशू गाली गलौज करने लगा विरोध करने पर दुकान का काउन्टर तोडते हुये, दुकान के अन्दर जबरजस्ती घुस आया और दुकान का सारा सामान तोडफोड कर मारपीट करने लगा शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गया। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुस्करा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 223/2025 धारा 115(2)/324(4)/331(6)/352/351(3) बी0एन0एस0 बनाम उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त का विवरण-

नीशू शुक्ला पुत्र राजेश कुमार (उम्र करीब 19 वर्ष) निवासी मुहल्ला 6 थोक कस्बा व थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर।

बरामदगी-

01 अदद तमंचा 32 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 222/24 धारा 115(2)/352/351(3) BNS थाना मुस्करा
2. मु0अ0सं0 189/25 धारा 115(2)/352/351(3) BNS थाना मुस्करा
3. मु0अ0सं0 223/2025 धारा 115(2)/324(4)/331(6)/352/351(3) BNS थाना मुस्करा
4. मु0अ0सं0 224/2025 धारा 9(1)A(1)/25(2) आयुध अधिनियम थाना मुस्करा

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 ललित तिवारी
2. का0 रोहित कुमार
3. का0 सौरभ पटेल